<u>समयबद्ध/अतिमहत्वर्ण</u>

<u>संख्या:-4/2015/409/एक-7-2015-99विविध(12)/2015</u>

प्रेषक,

डी0के0 सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

1- आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद
उ0प्र0 लखनऊ ।

2- आयुक्त एवं निदेशक,
भूमि अध्यासि निदेशालय
उ0प्र0 लखनऊ।

3- प्रमुख सम्पादक
जिला गजेटियर
उ0प्र0 लखनऊ।

4- चकबन्दी आयुक्त,
उ0प्र0 लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-7 **लखनऊ: दिनांक: 25 अगस्त, 2015**

विषय:- पदोन्नति में आरक्षण एवं परिणामी ज्येष्ठता के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या-2608/2011, यू0पी0 पावर कारपोरेशन लि0 बनाम राजेश कुमार व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/ आदेश दिनांक 27-04-2012 का अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-8/4/1/2002टी0सी0-1-का-2/2015 दिनांक 21-08-2015 की प्रति शासन के पत्र सं0-409/एक-7-2015-99विविध(12)/2015 दिनांक 24-08-2015 के अनुक्रम में संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न शासनादेश दिनांक 21-08-2015 के अनुपालन की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहना है कि निम्न बिन्दुओं एवं उनमें उल्लिखित प्रारूपों पर सूचना समयान्तर्गत प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराई जाय।

(1) पदोन्नति में आरक्षण तथा परिणामी ज्येष्ठता का लाभ प्राप्त कर 28 अप्रैल, 2012 के पूर्व एवं 15-11-1997 के बाद प्रोन्नत कर्मियों के पदावनत किये जाने के सम्बन्ध में समेकित सूचना दिनांक 09-09-2015 के सायंकाल तक संलग्न-1 पर उपलब्ध करा दी जाये।

(सन्दर्भ कार्मिक अनुभाग-2 का शासनादेश दिनांक 21-08-2015)

(2) दिनांक 08-05-2012 के बाद पदोन्नत कार्मिकों की श्रेणीवार संख्या की समेकित सूचना प्रारूप-2 पर उपलब्ध करा दी जाये।

(3) शासनादेश दिनांक 21-08-2015 के अनुक्रम में पदावनत कर्मियों को पदावनत पद पर कोई अतिरिक्त कार्यभार नहीं दिया जायेगा।

<u>संलग्नक: यथोपरि।</u>

भवदीय,

(डी0के0 सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in